

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 281/2025

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र दत्तराम जाति बिश्नोई साकिन 12 के.एस.डी. रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र दत्तराम जाति बिश्नोई साकिन 12 के.एस.डी. रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी इन्द्रजीत पुत्री दत्तराम जाति बिश्नोई साकिन 12 के.एस.डी. रासूवाला हाल आबाद वार्ड नं. 07 शोरेका, 4 के.एस.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिर्मल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ~~संजीव बिश्नोई~~ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ~~संजीव बैदी~~ वकील प्रतिवादी संख्या 1 का मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 12 केएसडी के खाता संख्या 85/52 जमाबन्दी सम्वत. 2071-2074 मे मृतक कृष्णादेवी पत्नी दतराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक कृष्णा देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.9.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया